पत्रांक–योजना बजट–72 / 2016 / प०व८

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–...../ 12 / 2016

विषय :– केन्द्र प्रायोजित योजना "प्रोजेक्ट एलीफैंट" (60:40) के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल ₹32.164 लाख (बत्तीस लाख सौलह हजार चार सौ ₹मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्य की परिसीमा में पालतू हाथियों की गणना, स्वास्थ, सुरक्षा, हाथी मस्ती पर नियंत्रण, मानव हाथी द्वंद पर नियंत्रण एवं इस प्रति लोगों में जनजागरूकता लाने के उद्देश्य से शुरू की गयी नई योजना "प्रोजेक्ट एलीफैंट" (60:40) के अन्तर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–F.N.-1-18/2015PE दिनांक–16.09.2016 द्वारा स्वीकृत योजना के आलोक में परिशिष्ठ–2 के अनुरूप कार्यों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल ₹32.164 लाख (बत्तीस लाख सौलह हजार चार सौ ₹मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–F.N.-1-18/2015PE दिनांक–16.09.2016 द्वारा 60:40 योजनान्तर्गत स्वीकृत योजना के आलोक में यह स्वीकृति प्रदान की जा रही है। यह एक नई योजना है, अतएव इसके लिए उप शीर्ष का निर्धारण नहीं हो सका है। चुँकि यह योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है एवं राशि भी विमुक्त की जा चुकी है, अतः योजना के सफल क्रियान्वयन के दृष्टिपथ में तत्काल इसे उप शीर्ष–एकीकृत वन्य जीव पर्यावास विकास अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के अधीन किया जायेगा।

3. इस राशि का व्यय निम्नांकित शीर्षों से की जायेगी :–

केन्द्रांश :– मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–02–पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष–110–वन्य जीव परिक्षण, माँग संख्या–19, उप शीर्ष–0223–एकीकृत वन्य जीव पर्यावास विकास, विपत्र कोड–P2406021100223 के विषय शीर्ष–27 01 लघु कार्य के अन्तर्गत उपबंधित राशि के तहत निकासी की जायेगी।

राज्यांश :– मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–02–पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष–110–वन्य जीव परिक्षण, माँग संख्या–19, उप शीर्ष–0323–एकीकृत वन्य जीव पर्यावास विकास, विपत्र कोड–P2406021100323 के विषय शीर्ष–27 01 लघु कार्य के अन्तर्गत उपबंधित राशि के तहत निकासी की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना होंगे तथा राशि की निकासी उनके सम्बद्ध जिला कोषागार से की जायेगी।

5. प्रस्ताव में संचिका के पृष्ठ–04 / टि० पर दिनांक–22.11.2016 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति तथा प्रारूप में पृष्ठ–05 / टि० पर दिनांक–09.12.2016 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. इस राशि का अवंटन निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। बजट उपबंध एवं भारत सरकार द्वारा विमुक्ति आदेश के अन्तर्गत उपलब्ध राशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।

7. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–F.N.-1-18/2015PE दिनांक–16.09.2016 द्वारा उपलब्ध कराया गया कार्य योजना के अनुरूप ही योजनाओं को पूर्ण किया जायेगा। यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसके लिए कार्यान्वयन एवं निरीक्षण/पर्यवेक्षण में संलग्न पदाधिकारियों की जिम्मेवारी होगी।

9. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी तथा स्वीकृत राशि के विरूद्ध कराये गये कार्यों का स्वयं संतुष्टि के उपरांत वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

10. कार्य स्थल पर कार्यों के नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा अनुश्रवण की व्यवस्था कराने का दायित्व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना का होगा।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–72/2016 5527 **/प०व० पटना–15, दिनांक–**09**/12/2016**

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आई०टी० मैनेजर/बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/12/16
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

परिशिष्ट–2

Annual Plan of Operations for Project Elephant during 2016-17

(Rs. in lacs)

S.N.	Item of Work	Quantity/ Units/ Nos	Amount
A. Component for captive elephants :-			
1	Health check-up and treatment support	76 elephants	1.00
2	Training of mahouts and assistant keepers	100 persons ; 2 Modules of 3 day training : One module in Sonepur Animal Fair and another in a North Bihar city	2.00
3	Awareness raising	Publication of a booklet and Pamphlets	2.00
4	Micro-chipping of elephants	LS including cost of microchips	1.00
5	Control and management of captive elephants		1.00
6	Final survey and Health assessment of all captive elephant in 17 districts of Bihar by GoI representative, veterinarian, NGO and State govt. Representatives.		3.00
B. Component for recurrent deviant migration of wild elephants from Nepal and Jharkhand :-			
7	Creation of Community Voluntary Teams to be trained and engaged during the episodes of wild elephants entering in human habitations.	20 Units of 10 Volunteers each in 4 affected zones namely (1) Muzaffarpur-Darbhanga-Madhubani (2) Saharsa-Supaul-Araria-Purnea (3) Bhagalpur-Jamui-Banka (4) Gaya-Aurangabad-Nawada **Cost break-up :-** (i) Recruitment and orientation training @ 0.30 lakh per unit - Rs. 6.00 lakh (ii) Engagement of units for checking the deviant wild ımals back to their habitat : 2ʹ x 206 x 20 (days) - Rs. 8.24 lakhˀ	14.24
8	Emergency equipment - Tranquilizing guns and drugs	1 Unit @ Rs.5.00 [illegible]	5.00
	Total :-		**29.24**
	Flexi Fund		**2.924**
	Grand Total		**32.164**

Technical [illegible] granted

27.09.16

(U. S. Jha)

Addl. Principal Chief Conservator of Forests

-cum-Chief Wildlife Warden, Bihar, Patna